

## आवश्यक सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर नगर के आदेश के अनुपालन में राजकीय टोयटा इनोवा वाहन में एक अदद टायर लगवाया जाना है ।

अतः सर्व साधारण / टोयटा इनोवा वाहन के अधिकृत डीलर को सूचित किया जाता है कि उक्त वस्तु के बाबत अपने - अपने आगणन कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर नगर में दिनांक- 10.02.2024 तक सांय 05 बजे तक प्रस्तुत करें ।

आज्ञा से,  
S.D  
अध्यक्ष, क्रय समिति  
जनपद न्यायालय,  
कानपुर नगर